नकल आदेश दिनांक 24/11/18 छायाप्रति

ग्राम - रायपुर
पर० - दरियाबाद

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :रामसनेही घाट
वाद संख्या :-4011/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201841248024011
डॉ अमरेश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत डा0 अमरेश पुत्र बेदप्रकाश गुप्त निवासी 2/58 विकास खण्ड गोमतीनगर लखनऊ व डा0 सन्तोष पाण्डेय पुत्र श्रीकान्त पाण्डेय निवासी 3/254 विराम खण्ड गोमतीनगर लखनऊ बहैसियत ट्रस्टीगण–बेद एजुकेशनल एण्ड बेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय 2/58 विकास खण्ड गोमतीनगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2018 पर तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 20.11.2018 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादीजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या 154/3.095हे0 स्थित ग्राम रायपुर परगना दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी प्रार्थीगण के नाम सहसंकमणीय भूमिधर है दर्ज सरकारी कागजात है। प्रार्थीजन द्वारा गाटा संख्या 154/3.095हे0 के आंशिक भाग 1.518हे0 पर वाणिज्यिक गतिविधियां विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नही रहा। जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण उक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनांक 20.11.2018 में उल्लेख किया गया है कि डा0 अमरेश पुत्र बेदप्रकाश गुप्त व डा0 सन्तोष पाण्डेय पुत्र श्रीकान्त पाण्डेय के नाम अंकित गाटा संख्या 154/3.095हे0 के आंशिक भाग 1.518हे0 मा0गु0 परता खाता को धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक की उद्घघोषण के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है:–

1–धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:–(प्रारूप पत्रावली संलग्न है)

राजस्व ग्राम का नाम–रायपुर परगना–दरियाबाद

Scanned by CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबकी,तहसील :रामसनेही घाट
वाद संख्या :-4011/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201841248024011
डॉ अमरेश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खतौनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्र0	मा0गु0	गाटा संख्या	क्षेत्र0	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उसका कोई भाग	विशिष्ट विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रायपुर	डा0 अमरेश पुत्र बेदप्रकाश गुप्त निवासी 2/58 विकास खण्ड गोमतीनगर लखनऊ व डा0 सन्तोष पाण्डेय पुत्र श्रीकान्त पाण्डेय निवासी 3/254 विराम खण्ड गोमतीनगर लखनऊ	60	3.095	76.50	154	1.518	रकबा 1.518हे0 पर वाणिज्यिक गतिविधियॉ विद्यमान है।	चा0सं0

2–वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है।
3–आवेदक के उक्त गाटा के आंशिक रकबे 1.518हे0 पर वाणिज्यिक गतिविधियॉ विद्यमान है जिसंका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन से नही है।
4–आवेदक द्वारा आकृषिक घोषित किये जाने वाली भूमि से सम्बन्धित नजरी नक्शा संलग्न किया गया है जिसका सम्बन्ध कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन से नही है।
5–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली–2006 की धारा–85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क व न्याय शुल्क प्रश्नगत रकबे

Scanned by CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबकी,तहसील :रामसनेही घाट
वाद सख्या :-4011/2018
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201841248024011
डॉ अमरेश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत मूल्य रू0 30360–00 चालान संख्या 5401/01/के.एम.71166 व न्याय शुल्क चालान संख्या 5401/01/के.एम.71335 दिनांक 22.11.2018 को लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है।

6–चूँकि वादीजन द्वारा जोत के भाग का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है इसलिए राजस्व नियमावली–2006 के नियम–88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता–2006 के धारा–22(2) के अनुसार सीमांकन का खर्च एक गाटा हेतु कुल रूपया 1000.00 चालान संख्या 5401/01/के.एम.70622 दिनांक 22.11.2018 लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

7–सहखातेदारों द्वारा अनापत्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

अतएवं तहसीलदार रामसनेहीघाट की आख्यानुसार प्रश्नगत गाटा संख्या का प्रभावित रकबा 1.518हे0 अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है तथा इस कारण धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी की जॉच आख्या एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदकजनो का रक्बा 1.518हे0 पूर्णतया अकृषिक किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत उद्घोषणा शुल्क के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार रू0 30360–00 रूपया व न्याय शुल्क 30360–00 रूपया एंव सीमांकन का खर्चा मु0 1000–00 अधिरोपित कर जमा कोष किया गया। उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नही है।

आदेश

अतः ग्राम रायपुर परगना दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट की खतौनी वर्ष 1424–1429फ0 की खाता संख्या 60 पर अंकित गाटा संख्या 154/3.095हे0 के आंशिक भाग 1.518हे0 को धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामसनेहीघाट की आख्या दिनांक 20.11.2018 एंव नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरूद्व ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश मे आता है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की प्रति उपनिबन्धक तहसील रामसनेहीघाट को अनुपालन हेतु भेजी जाय। वाद अमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

28-11-18

उपजिलाधिकारी
रामसनेहीघाट–बाराबंकी।

क्रम संख्या 569
नकल सवाल प्राप्त करने की तिथि 28/11/18
तैयारी तिथि 28/11/18
अदा कोर्ट फीस 2 मूल्य 7/=
शब्द संख्या 340
हस्ताक्षर नकल नवीस 28-11-18

सत्य प्रतिलिपि
28.11.18
रीडर
न्यायालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
रामसनेहीघाट–बाराबंकी

पृष्ठ संख्या :

Scanned by CamScanner